पंचायत समिति नग्गर स्थित पतलीकूहल, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 तक

भाग—एक

1 (क) प्रस्तावनाः—

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने एवं संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C(15) LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेश्क, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत पंचायत समिति नग्गर स्थित पतलीकूहल, जिला कुल्लू, का अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत समिति नग्गर स्थित पतलीकूहल में निम्नलिखित अध्यक्ष व खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत्त थेः—

क्र0सं0	अध्यक्ष का नाम	अवधि
1	श्री सीता राम नेगी	14.11.14 से 03.08.15
2	श्री दलीप कुमार	04.08.15 से 22.01.16
3	श्रीमती अनिता ठाकुर	23.01.16 से 31.3.18

क्र0सं0	खण्ड विकास अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री जी0सी0 बैन्स	05.01.12 से 30.04.15
2	कुमारी विध्या ठाकुर	01.05.15 से 30.08.17
3	श्रीमती टिकम दासी	01.09.17 से 06.09.17
4	श्री प्रताप चौहान	07.09.17 से 13.03.18
5	श्रीमती टिकम दासी	14.03.18 से 25.03.18
6	श्री के0आर0 कपूर	26.03.18 से 31.3.18

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सक्षिप्त सार

पंचायत समिति, नग्गर स्थित पतलीकूहल के अवधि 1.4.15 से 31.3.18 तक के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गमीीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा सं0	राशि (लाखों में)
1	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में भारी अन्तर	5 (क)	0.16
2	अनुदान राशि का अवरोधन	7	1.20
3	कम्पयूटर की खरीद पर अनियमित व्यय	8 (क)	0.39
4	कम्पयूटर की खरीद में अधिक भुगतान	8 (ख)	0.20
5	दुकानें किराये पर न देने के कारण हानि	9	1.44
6	विश्राम गृह के फर्नीचर पर अनियमित व्यय	11	1.16

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

पंचायत समिति नग्गर स्थित पतलीकूहल, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है, श्री अजीत सिंह, सहायक नियन्त्रक व श्री मोहिन्द्र सिंह कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18.06.2018 से 27.06.2018 तक पंचायत समिति कार्यालय पतलीकूहल में किया गयां लेखा परीक्षण के दौरान आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 06/2015, 03/2017, 10/2017 व तेरहवें वित्तायोग निधि हेतु माह 06/2015, 12/2017 एवं व्यय हेतु माह 11/2015, 03/2017, 12/2017 व तेरहवें वित्तायोग के माह 07/2015, 04/2017 का चयन किया गया। अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वाँछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत समिति के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत समिति के नियन्त्रक अधिकारी किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

पंचायत समिति नग्गर स्थित पतलीकूहल के लेखों 1.4.2015 से 31.3.2018 तक के अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹9800 (नौ हजार आठ सौ रूप्ये) किया गया जिसे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 40 दिनाँक 27.6.2018 द्वारा इस राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 के नाम भेजने का अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

पंचायत समिति नग्गर स्थित पतलीकूहल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत समिति निधि की अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क–ग)** में दिया गया है:–

(क) पंचायत समिति निधिः–

वित्त वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**आय**	**कुल योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2015–16	980330	203356	1183686	92229	1091457
2016–17	1091457	205299	1296756	88573	1208183
2017–18	1208183	99852	1308035	245805	1062230
दिनांक 31.3.18 को बैंक में जमा राशि का अन्तशेष=					**1078601 (परिशिष्ट "क–3")**
अन्तर					16371

(ख) 13वां वित्तायोग

वित्त वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**आय**	**कुल योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2015–16	5639264	15836255	21475519	11983353	9492166
2016–17	9492166	1034591	10526757	7130226	3396531
2017–18	3396531	273875	3670406	532190	3138216
दिनांक 31.3.18 को बैंक में जमा राशि का अन्तशेष=					3138216 (परिशिष्ट "ख–3")
अन्तर					शून्य

(ग) 13वां वितायोग पंचायत समिति निधि

वित्त वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2016—17	0	3123311	3123311	2259712	863599
2017—18	863599	186294	1049893	0	1049893
दिनांक 31.3.18 को बैंक में जमा राशि का अन्तशेष					1049893

(परिशिष्ट ग—2)

5 **(क) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना परिणामस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के दिनांक 31.3.18 को अन्तशेष में ₹0.16 लाख का अन्तरः—**

पंचायत समिति निधि की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया है जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते नियम 2002 के नियम के 15 (10) (a) (b) अनुसार रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करके बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी आपेक्षित थी। पंचायत समिति निधि की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों की अवहेलना है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करके बैंक समाधान विवरण तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार पंचायत समिति निधि की रोकड़ बही व बैंक खातों में दिनांक 31.3.2018 को निम्न विवरणानुसार ₹16371 का अन्तर पाया गया जिसका समाधान यथाशीघ्र करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	शीर्ष	रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार 31.3.2018 को अन्तिम शेष	दिनांक 31.3.18 को बैंक खातों में जमा राशि	अन्तर
1	पंचायत समिति निधि	1062230	1078601	16371

(ख) असंचालित बैंक खाते को संचालित करने बारेः—

पंचायत समिति निधि के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या 2705000100536966 की बैंक पास बुक का अवलोकन करने पर पाया गया कि यह खाता दिनांक 8.9.2005 से पूर्व का असंचालित पड़ा हैं तथा बैंक द्वारा इस खाते पर दिनांक 25.10.2016 तक साधारण ब्याज

लगाने के उपरान्त निष्क्रिय कर दिया था जिसे सक्रिय करने हेतु पंचायत समिति नग्गर द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई कार्यवाही नहीं की गई जो इस निधि के रख–रखाव में पंचायत समिति प्रबन्धन की लापरवाही को दर्शाता है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अतिशीघ्र इस बैंक खाते को सक्रिय किया जाए या इस खाते में पड़ी राशि को दूसरे बैंक खाते में हस्ताक्षरित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

6 दोपहर के भोजन पर ₹4190 का अनुचित व्ययः–

अंकेक्षणाधीन अवधि में पंचायत समिति की त्रैमासिक बैठक में उपस्थित सदस्यों को दिए गए दोपहर के भोजन व अल्पाहार के सन्दर्भ में किए गए भुगतान से सम्बन्धित बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दोपहर के भोजन पर किए गए व्यय के समर्थन में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु पंचायत समिति के कार्यवाही रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, जिसके अभाव में इन अधिकारियों के दोपहर के खाने हेतु किया गया भुगतान उचित प्रतीत नहीं होता। अतः पंचायत समिति की बैठकों में अनुपस्थित पदाधिकारियों को दोपहर का खाने हेतु कृत अनुचित भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनुचित रूप से भुगतान के ₹4190 की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत समिति निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

त्रैमासिक बैठक की दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं0	दिनांक	पदाधिकारी का नाम	पद	वार्ड संख्या	दोपहर के भोजन पर कृत व्यय
24.2.16	मैसर्ज चामुण्डा टैंट हाउस कटराईं	068	24.2.16	श्रीमती अमरा देवी	सदस्या	13	120
				श्री अमीत कुमार	सदस्य	20	120
				श्री शिव दास	पंचायत निरीक्षक	विकास खण्ड कार्यालय	120
				श्रीमती रेखा देवी	लिपिक	विकास खण्ड कार्यालय	120
31.5.16	मैसर्ज गोपाल टी स्टाल ढाबा	744	31.5.16	कुमारी शलिनी भारती	सदस्या	4	120

	पतलीकूहल						
				श्रीमती बिमला देवी	सदस्या	12	120
				श्री अमीत कुमार	सदस्य	20	120
				प्रधान ग्राम पंचायत जाणा	सदस्य	मनोनीत	120
				ग्राम पंचायत बराण	सदस्य	मनोनीत	120
				ग्राम पंचायत अरछडी	सदस्य	मनोनीत	120
				ग्राम पंचायत मलाण	सदस्य	मनोनीत	120
9.9.16	मैसर्ज गोपाल टी स्टाल ढाबा पतलीकूहल	759	9.9.16	श्रीमती बिमला देवी	सदस्या	12	130
				श्रीमती रेणुका	सदस्या	14	130
				श्रीमती इन्द्रा देवी	सदस्या	15	130
				श्रीमती सीमा देवी	सदस्य	24	130
				प्रधान ग्राम पंचायत जाणा	सदस्य	मनोनीत	130
				प्रधान ग्राम पंचायत बराण	सदस्य	मनोनीत	130
				प्रधान ग्राम पंचायत अरछड़ी	सदस्य	मनोनीत	130
				पंधान ग्राम पंचायत कराडसु	सदस्य	मनोनीत	130
				प्रधान ग्राम पंचायत वशिष्ठ	सदस्य	मनोनीत	130
				प्रधान ग्राम पंचायत रायासन	सदस्य	मनोनीत	130
				प्रधान ग्राम पंचायत गाहर	सदस्य	मनोनीत	130
30.6.17	मेसर्ज गोपाल टी स्टाल ढाबा पतलीकूहल	0	30.6.17	अनुपस्थिति सदस्य 10 दर 144			1440
						कुल राशि	4190

7 अनुदान राशि ₹1.20 लाख का उपयोग न करना:–

पंचायत समिति नग्गर स्थित पतलीकूहल के विकासात्मक कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2015–16 में 13वें वित्तायोग के अन्तर्गत पाँच विकास कार्यों के निष्पादन हेतु ₹560000 की राशि स्वीकृत की गई थी। 13वें वित्तायोग के मार्गदर्शनानुसार कार्य आरम्भ करने हेतु प्राप्त सूचना के 15 दिन के भीतर स्वीकृत राशि

निष्पादन कर्ता एजेन्सी को जारी की जानी अपेक्षित थी ताके इन कार्यों का निष्पादन 3 से 6 माह की समय सीमा के भीतर सम्भव हो सकता। लेकिन पंचयत समिति द्वारा ₹560000 की स्वीकृत राशि में से मात्र ₹440000 की राशि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को इन कार्यों के निष्पादन हेतु जारी की गई तथा ₹12000 की राशि अभी भी इन ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित/जारी की जानी शेष है। इन कार्यों का स्वीकृत होने के 2 वर्ष से अधिक समय के उपरान्त भी पूर्ण नहीं किया गया जिससे न केवल सरकारी धन का अवरोध हुआ है बल्कि सरकारी योजनाओं से आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ा है।

अतः यथासमय ग्राम पंचायतों को विकास कार्यो हेतु स्वीकृत राशि जारी न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा स्वीकृति प्राधिकारी से शेष राशि को व्यय करने की स्वीकृति प्राप्त करके व्यय का नियमितिकरण करवाया जाए अन्यथा अव्ययित राशि को स्वीकृति प्राधिकारी के खाते में वापिस करके अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृति की दिनांक व सं0	निश्पादन कर्ता	स्वीकृत राशि	ग्राम पंचायत को जारी राशि	शेष राशि	कार्य अपूर्ण रहने के कारण
2015–16	गाँव रूआड में सामुदायिक भवन को पूर्ण करना	प्रस्ताव सं0 7 दिनांक 7.5.15	ग्राम पं0 पल्चान	110000	80000	30000	कार्य प्रगति पर
2015716	गाँव पुरानी मनाली में सामुदायिक भवन को पूर्ण करना	प्रस्ताव सं0 7 दिनांक 7.5.15	ग्राम पं0 मनाली	110000	80000	30000	अन्तिम चरण में
2015–16	सडक वार्ड नं0 7 पी0 डब्लयू0डी0 सडक से वीर चन्द के घर तक	प्रस्ताव सं0 7 दिनांक 7.5.15	ग्राम पं0 कटराईं	100000	80000	20000	अन्तिम चरण में
2015–16	गांव वशिष्ठ में कुंड के नजदीक वर्षाशालिका का निर्माण	प्रस्तव सं0 7 दिनांक 7.5.15	ग्राम पं0 वशिष्ठ	90000	70000	20000	अन्तिम चरण में
2015–16	सारणी से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जगत सुख तक सड़क का निर्माण	प्रस्तव सं0 7 दिनांक 7.5.15	ग्राम पं0 जगतसुख	150000	130000	20000	अन्तिम चरण में
			कुल राशि	560000	440000	120000	

8 (क) कम्पयूटर खरीदने हेतु पंचायत निधि से ₹0.39 लाख का अनियमित भुगतानः—

पंचायत समिति नग्गर स्थित पतलीकूहल के कार्यवाही रजिस्टर पृष्ठ संख्या 73 दिनांक 9.9.2016 को अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत समिति सदन द्वारा खण्ड विकास कार्यालय हेतु 2 कम्पयूटर खरीदने हेतु अनुमति कार्यालय व्यय से दी गई थी। वर्ष 2016–17 में जिला पंचायत अधिकारी के पत्र संख्या 2016–25 दिनांक 8.6.2016 के द्वारा ₹75508 की राशि कार्यालय व्यय के रूप में प्राप्त हुई जबकि डबल कम्पयूटर खरीदने हेतु हिमाचत प्रदेश राज्य इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन (लि0) को ₹114980 का भुगतान बचत बैंक खाता संख्या 50051502011 से चैक संख्या 119382 दिनांक 18.3.2017 ₹75508 व खाता संख्या 20077023270 दिनांक 18.3.2017 से ₹39472 पंचायत समिति निधि से किया गया। इस प्रकार कार्यालय व्यय के रूप में प्राप्त ₹75508 से अधिक का व्यय पंचायत समिति निधि से किया गया जिसे पंचायत समिति सदन से अनुमोदित नहीं करवाया गया जिसके अभाव में कृत व्यय अनियमित है। अतः व्यय करने से पूर्व सदन की अनुमति न लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनियमित रूप से किए गए व्यय की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से लेकर नियमित करवाया जाए या अनाधिकृत रूप से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके पंचायत समिति निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) कम्पयूटर की खरीद पर ₹0.20 लाख का अधिक भुगतानः—

दिनांक 18.3.2017 को हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन शिमला–2 को किए गए ₹114980 के भुगतान के विरू निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति की जानी अपेक्षित थीः—

कम्पयूटर	2 नं0	₹93660
यू0पी0एस0	2 नं0	₹11000
प्रिंटर	1 नं0	₹10320
कुल राशि		₹114980

लेकिन पंचायत समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन से बिल की मूल प्रति प्राप्त नहीं की गई व कार्यालय मे इस सन्दर्भ में हुई चर्चा में बताया गया कि पंचायत समिति कार्यालय से जारी आपूर्ति आदेश संख्या 17584 दिनांक 18.3.2017 के विरूद्ध

निम्नलिखित सामग्री मै0 एसर इण्डिया प्राइवेट लिमिटड किशनपुरा, बददी नालागढ़ रोड जिला सोलन से उनके मूल बीजक संख्या 21651382 दिनांक 29.3.2017 के द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन शिमला–2 की दरों से कम दरों पर प्राप्त की गई तथा इसकी स्थापना भी एसर (Acer) कम्पनी के अभियन्ता द्वारा की गई। अतः हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन को एसर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड की दरों से अधिक भुगतान करने के परिणामस्वरूप ₹20160 के अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन से आवश्यक पत्राचार करके अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए।

मद का नाम	मद सं0	हि0प्र0 राज्य इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन की दर	मै0 एसर इण्डिया प्रावईवेट लि0 की दर	अन्तर
कम्पयूटर	2	46830x2=93660	36750x2=73500	20160

9 पंचायत समिति द्वारा निर्मित 5 दुकानों को किराए पर न देने के कारण ₹1.44 लाख की हानिः–

पंचायत समिति नग्गर द्वारा निर्मित 5 दुकानों से आय की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त दुकानों वर्ष 2010–11 से अंकेक्षणाधीन अवधि की समाप्ति 31.3.2018 तक किराए पर न देकर खाली रखी गई थी जबकि 2010–11 से पूर्व इन दुकानों को ₹300 प्रति दुकान प्रतिमाह की दर से किराए पर दिया जाता था जिससे पंचायत समिति को प्रतिवर्ष ₹18000 की आय प्राप्त होती थी। अतः इन दुकानों को खाली रखने का औचित्य हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 33 व 34 (2) के अन्तर्गत स्पष्ट किया जाए तथा नियमों की अनुपालना न करने के कारण पंचायत समिति को वर्ष 2010–11 से 2017–18 तक 96x5x300=144000 की हानि बारे उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए तथा अतिशीघ्र इन दुकानों को किराए पर दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि पंचायत समिति को किराए के रूप में आय अर्जित हो कर वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाया जा सके।

10 ₹19.17 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा , संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार किसी भी ग्राम पंचायत को दिए गए अनुदान के सन्र्छी में उस राशि की उपयोगिता से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृति प्राधिकारी को दिया

जाना अपेक्षित है। पंचायत समिति नग्गर के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा जिला परिषद कुल्लू से उनके पत्र संख्या 465–673 दिनांक 28.6.2014 के माध्यम से 13वें वित्तायोग के अन्तर्गत ₹1917200 की राशि प्राप्त की गई जिसे वाउचर संख्या 58 दिनांक 29.4.2014 द्वारा 40 ग्राम पंचायतों को ₹47930 प्रति पंचायत की दर से खेलों का सामान खरीदने हेतु बांटा गया लेकिन बांटी गई राशि की उपयोगिता से सम्बन्धित किसी भी ग्राम पंचायत से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए है और न ही इन्हें प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत से कोई पत्राचार किया गया है जिसका औचित्य उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत स्पष्ट किया जाए तथा आवश्यक पत्राचार करके अपेक्षित प्रमाण पत्र यथाशीघ्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

11 विश्राम गृह के लिए फर्नीचर की खरीद पर ₹1.16 लाख का अनियमित व्ययः–

माह 11/2017 में बिल संख्या 503 दिनांक 2.11.17 द्वारा निम्नलिखित सामान का क्रय पंचायत समिति विश्राम गृह के लिए किया गया लेकिन विश्राम गृह के संचालन से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख जैसे आंगतुक रजिस्टर व सदन द्वारा पारित प्रस्ताव अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नही करवाया गया जिसके अभाव में किया गया व्यय अनुचित प्रतीत होता है। अतः वाँछित अभिलेख तैयार करके अनुपालना की पुष्टि अगले अंकेक्षण पर करवाई जाए तथा विश्राम गृह से प्राप्त आय का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया जाएः–

क्र0सं0	फर्म का नाम	नाम	मद	दर	राशि
1	मै0 मंगल हैंडलूम पतलीकूहल	डोरमेट व कारपेट	441.8 वर्ग फीट	12	5301
			3 डोरमेट	500	1500
2	हिमाचल वुडक्राफ्ट शमशी कुल्लू	सोफा सैट	2	25000	50000
		डबल बैड	1	6800	6800
		रिवाल्विंग चेयर	1	10000	10000
		पेयर मैट्रेस	1	8000	8000
		अलमारी	1	5500	5500
3	मै0 मंगल हैंडलूम पतलीकूहल कुल्लू	पॉलीविनाइल कारपेट	195 वर्ग फीट	60	11700
		कारटेन (पर्दे)	7	300	2100

		नौन वूवन फाईबर मैट	216 वर्ग फीट	35	7560
		डोरमेट	1	450	450
4	मै0 सोनी इलैक्ट्रनिक्स मनाली जिला कुल्लू	रोडो हीटर	2	3500	7000
					115911

12 स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का उचित रख–रखाव न करनाः–

पंचायत समिति नग्गर के स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों की जाँच करने पर पाया गया कि समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 72 (1) (9) में किये गये प्रावधानानुसार अनुप्रयोज्य (Non-consumable) वस्तुओ के स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव फार्म–25 के अनुसार न करके सभी मदों का लेखांकन बिलवार एक पृष्ठ पर किया गया है जबकि नियमानुसार प्रत्येक मद के लिए अलग–अलग पृष्ठ लगाकर किया जाना अपेक्षित था ताकि किसी वस्तुविशेष की कुल कितनी मात्रा भण्डार में विद्यमान है, का सही आंकलन किया जा सके। अतः स्टॉक रजिस्टरों का नियमानुसार रख–रखाव किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

13 भण्डार का भौतिक सत्यापन न करवानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति निधि द्वारा नियमानुसार मदों का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 (1) (2) (3) के अनुसार भण्डार का भौतिक सत्यापन छः माह में कम से कम बाद करवाया जाना अपेक्षित था। अतः नियमानुसार स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाए।

14 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

15 **निष्कर्षः–** लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(3) 33/18 खण्ड–1–8163–8165 दिनांक 7.12.18 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कसुम्पटी, शिमला 171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881